संख्या- 11 /3237/चार-2014-64(बजट)07

प्रेषक,

राम विशाल मिश्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 19 फरवरी, 2015

विषय:-राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधान के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2557/सं0नि-20 (यू0सी0)/2014, दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-1169/चार-2014-64(बजट)07, दिनांक 25 मई,2014 जिसके द्वारा प्रथम चार माह की धनराशि रू0 28.83 लाख तथा शासनादेश संख्या-1724/चार-2014-64(बजट)07 दिनांक 08 सितम्बर, 2014 को धनराशि रू0 14.42 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 43.25 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ के लिए आयोजनेत्तर पक्ष में अनुदान संख्या- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 86.50 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 43.25 लाख (रू0 तेतालिस लाख पचीस हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और स्वीकृत मदों पर ही व्यय की जायेगी, अन्य मदों अथवा व्यय की नई मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी और स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जायेगा । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उक्त आहरित धनराशि को बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्यता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

4- आगामी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय वर्ष 2011-12 , 2012-13 व 2013-14 की आडिट रिपोर्ट 31-3-2015 तक शासन को उपलब्ध करायेंगे । इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 के प्रस्तर -12 तथा अनुदान के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 , भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 92- के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर- 101- ललित कला शिक्षा-20- कत्थक नृत्य संस्थान , लखनऊ को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-11 /दस-2014,दिनांक 23 जनवरी,2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या- 11 /3227(1)/चार-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस आशय से कि वर्ष 2011-12, 2012-2013 तथा 2013-2014 की आडिट रिपोर्ट 31-03-2015 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- सचिव, राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री।
8- बेव अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मणीन्द्र शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in